



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या-2330-आ०प्र०-०७ / पाकालि / 24-25-आ०प्र०-०७ / 24

दिनांक : 09/11/2024

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं०-४८५-ए-आर/राविपि- ०१-२८-एआर/८९, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम/गृह जनपद / जन्मतिथि/ सैप आईडी / वरिक्र० सर्वश्री	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान संख्या	प्रोन्नति उपरान्त आवंटित डिस्कॉम/इकाई
1	2	3	5	4
1	जिशान मोहम्मद अंसारी/ याकूब मोहम्मद अंसारी/ प्रयागराज / 20.04.1990 / 11003239 / 2012/CEH/309	विविखं, श्रावस्ती।	2024083	उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०

2. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
3. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नति) की तैनाती में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी, उन्हे अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि –
 - (क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
5. उपरोक्त अभियन्ता की पारेषण स्कन्ध में अग्रेतर तैनाती हेतु इनका डिस्काम क्षेत्र परिवर्तित कर दिया जाये तथा गृह जनपद डिस्काम क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाये।
6. कारपोरेशन के कार्यालय सं०-२७७७-ज०श०प्र०स०० एवं प्रशि०-०१/२०२३, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ता की Joining/Relieving ई०आर०पी० प्रणाली पर ही किया जाना है।
7. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ता, यथा शीघ्र अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत अभियन्ता को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
8. वर्तमान चयन वर्ष में इस प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि तक किसी अवर अभियन्ता के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में वृहद दण्ड प्रदान किया किया गया है तो उस अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
9. यह प्रोन्नति इस आधार पर दी जा रही है कि सम्बन्धित डिस्काम/इकाई द्वारा उपरोक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जॉच आदि लम्बित नहीं सूचित है अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अवर अभियन्ता की प्रोन्नति निरस्त मानी जाएगी व अलग से आदेश किया जायेगा।

क्रमशः.....2

9

Lokesh

10. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाक्षण प्रस्तुत कर चुका हो।

अध्यक्ष

संख्या :-2330(1) -अ०प्र०-०७ / पाकालि / 2024 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को-कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
9. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-1036/अनु०-०१/सहा०अभि०/पदो०, दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
10. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप सचिव (अ०प्र०-०३/०४/गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अनुभाग अधिकारी (अ०प्र०-०३/०४), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
15. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुरितका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (०३/०४), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (ई०मेल-ds.0304@uppcl.org/ js.02@uppcl.org) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई०मेल- ao.vetanlekha@uppcl.org) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

Lekha

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)

उप सचिव (०७)